यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक मध्यान्ह भोजन योजना उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक मध्यान्ह भोजन योजना उत्तराखण्ड देहरादून के माह 04/2014 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एवं श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 01.08.2018 से 13.08.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर के जोगी सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री श्रवण कुमार सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भानु प्रताप सिंह सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री वीरेन्द्र सिंह रावत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.09.2014 से 15.10.2014 तक श्री ए.सी.कटियार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2008 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक मध्यान्ह भोजन योजना उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा समस्त राजकीय, स्थानीय निकाय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा शिक्षा गारंटी, वैकल्पिक एवं नवाचारी केन्द्रों मे कक्षा 1-8 तक अध्ययनरत बच्चों को दोपहर के समय पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने और अपवंचित समूहों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने तथा कक्षा-कक्ष गतिविधियों में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है। भारत सरकार के स्तर पर वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के माध्यम से विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक योजना के सफल संचालन हेतु गतिविधिवार बजट आवंटन एवं योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले बजट को राज्य सरकार के बजट प्रावधान के माध्यम से केंद्रान्श एवं राज्यान्श की 90:10 के आनुपातिक स्तर पर अवमुक्त करवाकर योजना के उद्देश्यों की पूर्ति कराने का कार्य किया जाता है।
   कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त उत्तराखण्ड राज्य है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(iii) **(₹ लाख में)**

वर्ष	अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2014-15	4.25	2250.78	25.00	17.43	13071.70	12674.03		11.82		2648.45
2015-16	11.82	2648.45	29.03	21.26	13146.80	13296.57		19.59		2498.66
2016-17	19.59	2498.66	40.00	17.49	15503.29	6332.25		42.10		1669.70
2017-18	42.10	1669.70	0.00	23.88	15826.40	15196.25		18.22		2388.23

(iv) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+) / बचत(-)	ब्याज	
						केंद्रान्श	राज्यान्श
2014-15	मध्यान्न भोजन योजना	2255.03	13096.70	12691.46	2660.27	-	-
2015-16		2660.27	13175.81	13317.83	2518.25	-	-
2016-17		2518.25	15543.29	16349.74	1711.80	1234	586.38
2017-18		1711.80+88.38*	15826.4	15220.13	2406.45	259.72	131.66

* गैर स्थापना बचत में रु. 88.38 लाख खाद्यान्न की अवशेष धनराशि सम्मिलित है। जो कि नीचे योजना 2017-18 में दर्शायी गयी है।

(v) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भागीदारी देयता 90:10 के आधार पर दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **अ** श्रेणी की है।

(vi) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. राज्य परियोजना निदेशक
2. अपर राज्य परियोजना निदेशक
3. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय
4. संयुक्त निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना
5. फील्ड इंवेस्टिगेटर, मध्यान्ह भोजन योजना

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक मध्यान्ह भोजन योजना उत्तराखण्ड देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक मध्यान्ह भोजन योजना उत्तराखण्ड देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2014 एवं 12/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:-1- प्रबंधन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन(एमएमई) मद में निर्धारित सीमा से ₹ 105.25 लाख का अधिक व्यय।

पत्र संख्या F.1-15/2009-Desk(MDM) दिनांक 23 जून 2010 के बिन्दु 4 के अनुसार, **" It has also been decided that now Central Assistance for MME will be at the existing rate of 1.8% of total assistance on (a) cost of food grains (b) transportation cost (c) cooking cost and (d) honorarium to cooks-cum-helpers."**

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में परियोजना के अंतर्गत Management Monitoring and Evolution (MME) में प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाले केंद्रीय सहयोग का 1.8 प्रतिशत ही व्यय किया जाना प्रस्तावित था जबकि इकाई द्वारा उक्त मद में निर्धारित 1.8 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया (तालिका संलग्न)।

एमएमई पर व्यायाधिक्य

(₹ लाख में)

Year	**Central assistance**				**total**	**1.8% of central assistance**	**Actual ex on MME (CA)**	**Excess expenditure**
	Cost of foodgrains	Cooking cost	Honorarium to cook	Transportation cost				
2014-15	1078.31	4795.81	2300.56	298.26	8472.94	152.51	174.96	22.45
2015-16	1137.68	6048.43	2671.88	247.85	10105.84	181.91	209.49	27.58
2016-17	439.18	5476.44	2581.43	64.64	8561.69	154.11	192.55	38.43
2017-18	545.64	6261.84	2550.06	423.53	9781.07	176.06	192.85	16.79
							योग	105.25

लेखा परीक्षा द्वारा उक्त मद में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किए जाने के संबंध में पूंछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि एमएमई मद में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि से कम व्यय किया गया, साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि अन्य मदों में अवशेष धनराशि को प्रत्येक वर्ष 4 क्यूपीआर (quarterly progress report) के द्वारा भारत सरकार को अवगत कराया जाता है भारत सरकार अगले वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि को समायोजित करती है, इस हेतु इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्य के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में जारी दिशानिर्देशों का वर्णन किया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2006 के बाद 2010 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रलाय के पत्र संख्या F.1-15/2009-Desk(MDM) दिनांक 23 जून 2010 द्वारा मात्र केन्द्रीय सहायता 1.8% ही एमएमई हेतु मान्य था एवं वार्षिक कार्य योजना हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में विभिन्न मदों में अवशेष का उल्लेख नहीं किया जाता जिस कारण वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन के दौरान अवशेषों के संबंध में चर्चा नहीं की जाती।

₹ 105.25 लाख के अतिरिक्त व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:-2- दिशानिर्देशों का अनुपालन किए बगैर किचन कम स्टोर का निर्माण न कर धनराशि रु. 350.58 लाख वापस किया जाना।

मध्यान्न भोजना योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु कक्षा के उपयोग एवं स्टोर के रूप में इस्तेमाल करने से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में किचन कम स्टोर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया, इस दौरान 15933 किचन कम स्टोर के निर्माण स्वीकृत किए गए। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 15611 किचन कम स्टोर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 63 का निर्माण कार्य प्रगति पर था, 28 किचन का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ होना शेष था जबकि 258 किचन कम स्टोर के निर्माण कार्य की धनराशि राज्य को वापस कर दी गयी। (धनराशि रु. 350.58 लाख)।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिन 258 किचन कम स्टोर के निर्माण कार्यों की धनराशि राज्य को वापस की गयी थी उनमें से 146 किचन कम स्टोर छात्र संख्या कम होने के कारण, 22 किचन कम स्टोर निर्माण हेतु धनराशि कम होने के कारण एवं 40 स्थान की अनुपलब्धता के कारण विद्यालयों में निर्मित नहीं किए गए थे। शेष 50 किचन विभिन्न कारणों यथा-विद्यालय बन्द होना, विद्यालय में पूर्व में ही किचन होना, विद्यालय भवन किराए पर होना इत्यादि।

अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि दिनांक 29-4-2016 की बैठक के मीटिंग ऑफ मीटिंग के बिन्दु संख्या (v) के अनुसार,**"Secretary (SE&L) advised the State Government to complete the construction of 100% kitchen cum store by 31-6-2016 as MHRD had already given relaxation to the State for the same for a year in the past. He also mentioned that the state may reduce the size of kitchen cum store where enrolment is low."**

मध्यान्न भोजन योजना, उत्तराखंड दिशा-निर्देश प्रथम संस्करण-2012 के पृष्ठ 44 के बिन्दु 8 के अनुसार, **"सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत अवर अभियंता किचन कम स्टोर निर्माण का समय समय पर निरीक्षण करेंगे एवं आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।**

बिन्दु 10 के अनुसार,**"जगह की स्थिति के अनुसार डिजाइन में किसी भी किस्म का फेर बदल विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी/ अध्यक्ष जिला मध्यान्न भोजन योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदित करवाना होगा।"**

लेखा परीक्षा द्वारा अभिलेखों की जांच करने में निम्न तथ्य प्रकाश में आए:-

1. भारत सरकार द्वारा उन विद्यालयों में जहां छात्र् संख्या कम थी, किचन कम स्टोर के मानकों में परिवर्तन कर 100% निर्माण सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किए जाने पर भी **146** विद्यालयों में निर्माण नहीं कराये गए एवं निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि राज्य इकाई वापस कर दी गयी।
2. जिन **22** विद्यालयों द्वारा किचन कम स्टोर का निर्माण न करते हुए उपलब्ध धनराशि कम होने का हवाला देते हुए वापस कर दी गयी, उन विद्यालयों द्वारा उक्त धनराशियां जिलों को वापस की गयी, उन विद्यालयों की विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा उक्त धनराशि वापस करने से पूर्व सर्व शिक्षा अभियान के अवर अभियंता से उक्त निर्माण कार्य हेतु अपर्याप्त धनराशि के संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था।
3. **40** विद्यालयों द्वारा पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि को जिलों के माध्यम से राज्य इकाई को वापस कर दिया गया जबकि 2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी/ अध्यक्ष जिला मध्यान्न भोजन योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदन प्राप्त कर डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता था,

इस प्रकार 208 विद्यालयों द्वारा विभिन्न कारणों के चलते किचन कम स्टोर के निर्माण कार्य हेतु आवंटित धनराशि राज्य सरकार को वापस कर दी गयी जिसकी भारत सरकार को वापस किए जाने की तैयारियां गतिमान है।

लेखापरीक्षा द्वारा इन बिन्दुओं के संबंध में इकाई से स्पष्टीकरण मांगे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि

छात्र संख्या कम होने के संबंध में भारत सरकार को अवगत कराया गया था परंतु इन विद्यालयों में किचन कम स्टोर के निर्माण न किए जाने की अनुमति नहीं ली गयी थी जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अव्ययित धनराशि वापस करने हेतु निर्देश दिये गए इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों द्वारा उपलब्ध धनराशि कम होने के कारण वापस की गयी थी एवं स्थान की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए धनराशि वापस की गयी एवं किचन कम स्टोर के निर्माण में असमर्थता व्यक्त की गयी थी इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदों से पृच्छा का आख्या प्राप्त की जाएगी।

इकाई कर उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में अव्ययित धनराशि वापस करने के निर्देश दिये गए थे, निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश नहीं दिये गए तथापि मानकों में परिवर्तन कर किचन कम स्टोर के निर्माण करने के निर्देश दिये गए थे, साथ ही स्थान की अनुपलब्धता एवं धनराशि कम होने के मामलों में जनपदों से आख्या पूर्व में ही प्राप्त की जानी चाहिए थी।

अतः दिशानिर्देशों का अनुपालन किए बिना ही किचन कम स्टोर का निर्माण न करके धनराशि रु. 350.58 लाख वापस किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर:-3- ₹ 360.35 लाख की धनराशि VAT के रूप में अनुचित भुगतान।

उत्तराखण्ड VAT ACT 2005 के अनुसार PDS से आपूर्ति की जाने वाले खाद्यान्नों को अनुसूची-I में रखा गया है। जिससे ऐसे खाद्यान्नों पर VAT नहीं लिया जा सकता है।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निरन्तर भारतीय खाद्य निगम को VAT की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 के अन्त तक भारतीय खाद्य निगम को ₹ 270.00 लाख, वर्ष 2015-16 में ₹ 56.15 लाख, वर्ष 2016-17 में ₹ 29.23 लाख और वर्ष 2017-18 में माह जून तक ₹ 4.97 लाख का भुगतान किया गया। दिनांक 22.01.2016 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन योजना की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में उक्त धनराशि को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति करने का निर्णय भी लिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि वर्ष 2019-20 के की बैठक में उक्त धनराशि को राज्यान्श मद में सम्मिलित किया जायेगा।

इकाई की स्वीकारोक्ति से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वयमेव ही पुष्टि होती है।

अत: ₹ 360.35 लाख की धनराशि VAT के रूप में अनुचित भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के निस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
104/2014-15	-	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………………………………….Nil…………………………………………………………..

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक मध्यान्ह भोजन योजना उत्तराखण्ड देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती राधिका झा	**राज्य परियोजना निदेशक**	05-04-2013 से 11-01-2015 तक
2.	श्री डी सैंथल पंडियन		12-1-2015 से 02-8-2016
3.	श्रीमती रंजना राजगुरु		05-8-2016 से 06-12-2016
4.	श्री दीपेंद्र कुमार चौधरी		09-12-2016 से 27-04-2017 तक
5.	कै0 आलोक शेखर तिवारी		28-04-2017 से अविरल

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक मध्यान्ह भोजन योजना उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, “महालेखाकर भवन” कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.